कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पंजाब, चण्डीगढ़- 160017

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखा व हकदारी) पंजाब एवं यू.टी. चण्डीगढ़ की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वित्त वर्ष 2020-21 की तिमाही बैठक दिनांक 09.12.2020 को सायं 4:30 बजे श्री विशाल बंसल, प्रधान महालेखाकार के सभापतित्व में संपन्न हुई। इस बैठक में 30.09.2020 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति रिपोर्ट पर विचार-विमर्श हुआ। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

क्रमांक	नाम व पदनाम	अभ्युक्ति
1.	श्री आकाश गोयल, व.उप महालेखाकार	उपमहालेखाकार (पेंशन)
2.	सुश्री भानुमती नाथन, उप महालेखाकार	उप महालेखाकार (प्रशा, यू.टी., तथा लेखा व वी.एल.सी)
3.	सुश्री राजबाला, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
4.	श्री मुखत्यार सिंह, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
5.	श्री जयगोपाल वर्मा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
6.	श्री जसविन्द्र गिल, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
7.	सुश्री सीमा गुप्ता, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
8.	सुश्री संगीता सैनी, सहायक लेखा अधिकारी	सदस्य
9.	श्री सुमित कुमार, सहायक लेखा अधिकारी	सदस्य
10.	सुश्री एकता, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	सदस्य
11.	श्री जगदीश चंद्र यादव, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	सदस्य

1. **गत बैठक के कार्यवृत्तों का पुनर्निरीक्षण और पुष्टि:-**

   बैठक में गत बैठक के कार्यवृत्तों का पुनर्निरीक्षण कर उनकी पुष्टि कर दी गई।

2. **30-09-2020 को समाप्त हुई तिमाही की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट पर विचार-विमर्श:-**

   30-09-2020 को समाप्त हुई तिमाही की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट पर विचार- विमर्श हुआ। 'क' और 'ख' क्षेत्रों के लिये हिन्दी पत्राचार के 90 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य के सामने इस कार्यालय से 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के साथ पत्राचार क्रमशः 92.94 प्रतिशत तथा 89.84 प्रतिशत रहा जिस पर अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त किया। अध्यक्ष महोदय ने यह भी आदेश दिया गया कि सभी स्कंधों की हिंदी प्रयोग संबंधी मासिक/त्रैमासिक रिपोर्टें हिंदी कक्ष को हर माह की 5 तारीख तक अविलंब प्रेषित की जाए ताकि समेकित रिपोर्ट मुख्यालय/राजभाषा विभाग को समय पर प्रेषित की जा सके। प्रत्येक तिमाही में दो-तीन अनुभागों के तिमाही रिपोर्ट में दिए गए आँकड़ों की जांच हिंदी अनुभाग द्वारा करने का आदेश दिया तथा टिप्पण की प्रतिशतता को पिछली तिमाही की टिप्पण प्रतिशतता से कम न हो इस विषय पर ध्यान देने को कहा।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय/गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के आदेशों का कार्यान्वयनः

बैठक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय/गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से प्राप्त आदेशों और निर्देशों के विषय में सभापति महोदय को इस तथ्य से अवगत कराया कि सभी संबंधित आदेशों और निर्देशों पर यथानुसार कार्रवाई कर दी गई और उन्होंने इस संबंध में संतोष व्यक्त किया।

4. **अंकुर पत्रिका के संबंध में:**

अंकुर पत्रिका के प्रकाशन हेतु जिस फर्म को पूर्व की दरों पर यह कार्य आबंटित किया गया था उस फर्म द्वारा यह सूचित किया गया है कि पूर्व में कार्य के उपरांत बजट न होने से भुगतान में काफी विलंब हो गया था इसलिए उनके द्वारा बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु आग्रह किया गया है। परंतु मुख्यालय द्वारा यह सूचित किया गया है कि पहले कार्य करवा लिया जाए फिर भुगतान हेतु धनराशि की मांग की जाए।

5. **कार्यालय की वैबसाईट के द्विभाषीकरण के संबंध में :**

कार्यालय की वैबसाईट के द्विभाषीकरण के संबंध में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया। सूचना प्रोद्योगिकी सहायता कक्ष के प्रभारी ने बताया कि वेबसाइट के द्विभाषीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

6. **हिंदी पखवाडा**

हिंदी पखवाडे के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र दिये जा चुके हैं। और पुरस्कार राशि का भुगतान सी.आर.टी. अनुभाग द्वारा किया जाना है जो कि प्रक्रियाधीन है।

7. **नराकास बैठक**

दिनांक 25.11.2020 को उप महालेखाकार प्रशासन द्वारा नराकास की आनलाइन छमाही बैठक में भाग लिया गया।

8. **टंकण प्रशिक्षण**

हिंदी टंकण शिक्षण योजना के अंतर्गत करवाया जाने वाला टंकण प्रशिक्षण जनवरी में होना संभावित है। 28 कर्मचारी टंकण के लिए शेष हैं। जिन्हें आगामी सत्रों में प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाएगा।

सभापति महोदय के प्रति धन्यवाद-प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उप महालेखाकार(प्रशासन)

क्रः- हिं.क./रा.का.स./20-21/ 131 - 132　　　　दिनांकः- 5|1|21

प्रतिलिपिः-

1. **सूचना प्रोद्योगिकी सहायता कक्षः**- इस अनुरोध के साथ कि इन कार्यवृत्तों को सभी सदस्यों के सूचनार्थ/अनुपालन हेतु कार्यालय की वैबसाइट पर 'हिंदी कॉर्नर' में अपलोड करने की व्यवस्था करें।
2. **सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1 (दिल्ली) को सूचनार्थ।**

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (हिंदी)